न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः—161/18 (आरसीएमएस नं. 2018/00233)

1. मनोज यादव दत्तक पुत्र लक्ष्मण यादव, जाति अहीर, निवासी ग्राम कांसली, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

——अपीलान्ट

बनाम

01. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कोटपूतली जिला जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांकः 26.03.2019

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली जिला जयपुर के आदेश दिनांक 02.04.2018 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि अपीलान्ट ग्राम कांसली तहसील कोटपूतली जिला जयपुर का रहने वाला है तथा अपीलान्ट लक्ष्मण पुत्र डूँगा का गोदपुत्र है तथा लक्ष्मण पुत्र डूँका का स्वर्गवास होने के पश्चात् अपीलान्ट ने तहसीलदार कोटपूतली के समक्ष अपने दत्तक पिता की आराजीयात में विरासत नामान्तरकरण तस्दीक करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अपीलान्ट के दत्तक पिता लक्ष्मण पुत्र डूंगा का ग्राम कांसली की सम्पूर्ण आराजीयात में सहवन से उसके बोलता नाम जोधा पुत्र डूंगा राजस्व भू अभिलेखों मे दर्ज कर दिया गया जबकि जोधा पुत्र डूंगा का वास्तविक नाम लक्ष्मण पुत्र डूंगा था, इसी प्रकार अपीलान्ट के दत्तक पिता की अन्य कृषि आराजीयात वाके ग्राम फतेहपुरा कलां तहसील कोटपुतली जिला जयपुर में भी मौजूद थी, उक्त ग्राम फतेहपुरा कलां की समस्त भूमियों में अपीलान्ट के दत्तक पिता का नाम लक्ष्मण पुत्र डूंगा ही राजस्व भू अभिलेखों में दर्ज है तथा उक्त फतेहपुरा कलां गांव की समस्त कृषि भूमियों मे लक्ष्मण पुत्र डूंगा की विरासत अपीलान्ट के नाम भू राजस्व अभिलेखों मे तस्दीक हो चुकी है किन्तु राजस्व ग्राम कांसली में उक्त लिपिकीय त्रुटि के कारण अपीलान्ट के पिता का नाम लक्ष्मण पुत्र डूंगा के स्थान पर जोधा पुत्र डूंगा दर्ज कर दिया गया जिसके कारण अपीलान्ट अपना विरासत नामान्तरकरण अपने दत्तक पिता के नाम की सहवन से हुई लिपिकीय त्रुटि के कारण दर्ज नही करा पा रहा है। अपीलान्ट द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 09.09.2017 तथा 11.09.2017 प्राप्त की गई तथा तहसीलदार रिपोर्ट 136 क्रमांक/भू.अ.

अपीलाधीन आदेश के माध्यम से अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम विधि–विधान, संचिका पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्य, सबूतों के प्रतिकूल अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो निरस्तनीय है।

आधेवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्यों के रूप में अपने दत्तक पिता का भारतीय निर्वाचन आयेाग द्वारा जारी पहचान पत्र दिनांक 13.10. 1995 तथा परिवार राशन कार्ड दिनांक 01.04.2006 तथा उक्त कृषि भूमि स्थापित विधुत बिल दिनांक 21.06.2010 तथा अपने स्वयं का पंजीकृत गोदनामा तथा राजस्व भू अभिलेखों मे जमाबन्दी ग्राम फतेहपुरा कलां की खाता संख्या नया 16 व पुराना 13 में स्थित हिस्सा 1/6 अपीलान्ट के नाम उक्त वल्दीयत के आधार पर बखुबी साबित था तथा इसी प्रकार कृषि भूमि फतेहपुरा कलां की खाता संख्या नई 80 तथा पुरानी 71 में हिस्सा 1/16 की खातेदारी भी लक्ष्मण पुत्र डूंगा के नाम बखुबी साबित थी तथा इसी अनुरूप ही ग्राम फतेहपुरा कलां की खाता संख्या नई 16 पुरानी 13 व खाता संख्या 297 तथा पुरानी 277 में हिस्सा 1/66 से भी समस्त प्रकार से अपीलान्ट के दत्तक पिता का नाम लक्ष्मण पुत्र डूंगा ही अन्य राजस्व भू अभिलेखों के साथ दर्ज है तथा उपरोक्त दस्तावेज के अलावा भी अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों से यह बखुबी साबित किया था कि अपीलान्ट के दत्तक पिता का नाम लक्ष्मण पुत्र डूंगा ही था किन्तु सहवन से लक्ष्मण के स्थान पर बोलता नाम जोधा दर्ज हो गया जिसका अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लिपिकीय त्रुटि अथवा सहवनीय त्रुटि होने के कारण दुरूस्त किया जाना कतई आवश्यक होने के बावजूद भी धारा 136 भू राजस्व आधेनियम तथा उन पर प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरित जाकर अवैध अपीलाधीन आदेश के माध्यम से अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अवैध रूप से खारिज करने में अहम कानूनी भूल की है, इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.04.2018 खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.04.2018 को निरस्त फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाते हुये वाके ग्राम कांसली तहसील कोटपुतली जिला जयुपर में स्थित नया खाता संख्या 3 व पुराना खाता संख्या 3 में स्थित हाल आराजी खसरा नम्बर 153, 219, 423, 424, 425, 429, 437, 438, 566, 569, 570, 575, 582, 585, 591, 597, 601, 602, 603, 750 व नया खाता संख्या 6 व पुराना 7 में स्थित आराजी खसरा नम्बर 596, 751, 756, 757, 760, 763, 764 तथा नया खाता संख्या 217 व पुराना 211 में स्थित आराजी खसरा नम्बर 656 में दर्ज राजस्व भू अभिलेखों में जोधा पुत्र डूंगा के स्थान पर लक्ष्मण पुत्र डूंगा के नाम की दुरूस्ती किये जाने के आदेश तहसीलदार कोटपूतली को प्रदत्त किये जावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। दौराने बहस अपीलान्ट के अधिवक्ता का मुख्य कथन रहा है कि ग्राम फतेहपुराकलां की खाता संख्या नया 16 व पुराना 13 तथा इसी प्रकार कृषि भूमि फतेहपुरा कलां की खाता संख्या नई 80 तथा पुरानी 71 व फतेहपुरा कलां की ही खाता संख्या नई 16 व तथा पुरानी 13 व खाता संख्या 297 तथा पुरानी 277 आदि समस्त में भी अपीलान्ट के पिता का नाम लक्ष्मण पुत्र डूँगा ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा उक्त आराजोयात विरासतन अपीलान्ट के नाम दर्ज रिकार्ड हो चुकी है जबकि ग्राम कांसली स्थित आराजी लक्ष्मण पुत्र डूंगा के स्थान पर सहवन से जोधा पुत्र डूंगा अंकित होने से अपीलान्ट के नाम विरासतन नही हो पा रही है। ऐसी स्थिति में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को विस्तृत जॉच हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालाय उपखण्ड अधिकाकरी, कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.04.2018 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटपूतली जिला जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तोवजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए एवं प्रकरण में सम्बन्धित तहसीलदार से प्रकरण की विस्तृत जॉच रिपोर्ट तलब की जाकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(के0सी0वर्मा)
सांभागीय आयुक्त
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 26.03.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सांभागीय आयुक्त
जयपुर।